न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 55/2026 बउनवानी विमला मीना पत्नि दयाशंकर **बनाम** तहसीलदार मित्रपुरा निवासी 166 गोन की ढाणी मोरन तहसील बौंली

GCMS No-2026/ 101 **Appeal Number- 321467748310330**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न.ज. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
28.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 17.01.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर <u>"*ग्राम मोरण तहसील मित्रपुरा की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को लेकर प्रमाणित सूचना*"</u> तहसीलदार मित्रपुरा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/सूचना अधि./2026/151–52 दिनांक 24.4.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 17.1.2026 मे चाही गयी सूचना (कुल 495 पृष्ठो की) तहसीलदार मित्रपुरा के उक्त पत्र कमांक 151–52 दिनांक 24.4.2026 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 17.01.2026 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना कुल 495 पृष्ठो की तहसीलदार मित्रपुरा के पत्रांक 151 दिनांक 24.4.2026 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी गयी है किन्तु अधिनियम के प्रावधानो में नियत समय मे उपलब्ध नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे ऑन लाईन पोर्टल एवं ऑफ लाईन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों को अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner